संख्या-240/2018/15/22-2-2018-17(94)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री बलजीत, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हरवीर पुत्र श्री बलजीत, निवासी-इदरीशपुर, थाना-दोघट, जनपद-बागपत का रहने वाला है। वर्ष 1962 में लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 लोगों में से 04 व्यक्तियों को सजा पड़ जाने को लेकर चली आ रही रंजिश व मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने दिनांक 21-01-1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, गड़ासा, भाला से खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की हत्या कर दी एवं गांव में जाकर खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारों से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1977 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.12.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील में पारित आदेश दिनांक 25.02.2009 द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 13 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 11 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त फार्म-ए पर रिहा, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति के अनुसार 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने वर्ष 1962 में लक्ष्मण की हत्या में 04 व्यक्तियों को सजा पड़ जाने को लेकर चली आ रही रंजिश तथा मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने दिनांक 21-01-1977 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, गड़ासा, भाला से खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन तथा रणधीर की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी के अशक्त न होने, अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री बलजीत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरवीर (बन्दी संख्या-10628) पुत्र श्री बलजीत, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-240/2018/15(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-240/2018/15/22-2-2018-17(94)/2013
दिनांक 22 मार्च, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी हरवीर (बन्दी संख्या-10628) पुत्र श्री बलजीत, निवासी-इदरीशपुर, थाना-दोघट, जनपद-बागपत का रहने वाला है। वर्ष 1962 में लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 लोगों में से 04 व्यक्तियों को सजा पड़ जाने को लेकर चली आ रही रंजिश व मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने दिनांक 21-01-1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, गड़ासा, भाला से खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की हत्या कर दी एवं गांव में जाकर खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारों से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1977 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.12.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील में पारित आदेश दिनांक 25.02.2009 द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 13 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 11 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त फार्म-ए पर रिहा, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति के अनुसार 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने वर्ष 1962 में लक्ष्मण की हत्या में 04 व्यक्तियों को सजा पड़ जाने को लेकर चली आ रही रंजिश तथा मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने दिनांक 21-01-1977 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, गड़ासा, भाला से खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन तथा रणधीर की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अशक्त न होने, अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री बलजीत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in